


न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डीन

क्र. 12/12 फर्द अहकाम (3)

14/16 पत्तनली पेका 3 / 801 सुभा 2 खिरी. 20/10 को पत्र है

राजस्व लोक अदालत
अधिवान न्याय आपसे नार 2016
कैम्प. 20/10/16

श्री 1/16 पत्तनली राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत
नेपेरा हुडी पत्तनली प्रथम अर्ध्याई विषेधाजा
का इन्फेक्शन दिनांक 1/11/16 जिससे लंबेपिल
वाइर सुभा 2 6/12 R.T.A धारा 188 के
गिर्जित दिनांक आ चुका है अतः मूल दावा
पत्तनली के विषेधाई अर्ध का गिर्जित
उपरान्त प्रथम अर्ध्याई विषेधाजा चलाना
जागे का कोई क्विचिल प्रतीत नहीं होता है
अतः यह प्रथम अर्ध्याई विषेधाजा के
कार्रवाही श्रेय की जाती है पत्तनली फंडल
सुभा 2 के अर्ध से काट कर जाकर वाइर
तकनीक दारिद्र्यल दस्तावेज


उप जिला कलेक्टर
हिण्डीन सिटी, जिला करीली